

फर्द अहकाम

नेमीचन्द बनाम रमेश चन्द वगै०

प्रार्थना पत्र संख्या: 98/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपटित धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 593 व पुराना 1428 के खसरा नम्बर 7049/8128 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7055 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7057 रकबा 0.64 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर, ग्राम बगरू कला पटवार हल्का बगरू कला ए व बी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब हेतु अवसर चाहा, न्यायहित में जवाब हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 15.07.2024 को उभयपक्षकारान उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने आदेशिका दिनांक 03.06.2024 को अंकित किया कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी में कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>पत्रावली में बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहरागा एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 593 व पुराना 1428 के खसरा नम्बर 7049/8128 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7055 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7057 रकबा 0.64 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर, ग्राम बगरू कला पटवार हल्का बगरू कला ए व बी, भू-अभिलेख निरीक्षक</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



13.08.2024

नेमीचन्द बनाम रमेश चन्द वगै०
प्रार्थना पत्र संख्या: 98/2024

क्षेत्र-बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जश्मि पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश प्रदान करे। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 ने आदेशिका दिनांक 03.06.2024 को अघित किया कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने जवाब अघित तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया गया। प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी द्वारा पेश सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 593 व पुराना 1428 के खसरा नम्बर 7049/8128 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7055 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7057 रकबा 0.64 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर, ग्राम बगरू कला पटवार हल्का बगरू कला ए व बी, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र-बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान करे एवं उक्त सीमाज्ञान मौका-फर्द रिपोर्ट के अनुरार पुख्ता सीमाचिन्ह पारदर्शिता अपनाते हुये कायम करे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर



Recd
13/8/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या : --- 98/2024

नेमीचन्द पुत्र सूरजमल, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी -घोडीला की ढाणी लोहरवाड़ा बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. रमेश चन्द पुत्र श्री आत्माराम जाति कुमावत निवासी ढाणी लोहरवाड़ा, बगरू तहसील सांगानेर जयपुर।
 2. राधेश्याम पुत्र आत्माराम, जाति कुमावत, निवासी ढाणी लोहरवाड़ा, बगरू तहसील सांगानेर जयपुर।
 3. सीताराम पुत्र श्री सूरजमल
 4. बद्दीनारायण पुत्र सूरजमल
 5. बाबू लाल पुत्र सूरजमल
 6. सायर मल पुत्र सूरजमल
समस्त जातियान कुमावत, निवासीगण-ढाणी लोहरवाड़ा, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. श्रीमान पुलिस थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना बगरू जयपुर पश्चिम जयपुर।

श्रीमान 'E